

प्रेषक,

संजय प्रसाद  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम, 14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2012

विषय: अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रतियों समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. वित्तीय निगम को अपने स्तर से वितरित कराने का कष्ट करें।

2. इस योजना के संचालन हेतु पिकप एवं उ.प्र. वित्तीय निगम को प्राधिकृत संस्था नामित किया जा रहा है।
3. प्रश्नगत सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात संबन्धित इकाई भविष्य में बन्द न कर दी जाए इस हेतु भी समुचित व्यवस्था अनुबंध पत्र के माध्यम से प्राधिकृत संस्था द्वारा की जायेगी।
4. उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात ही निर्गत की जायेगी। कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त

(संजय प्रसाद)  
सचिव।

संख्या-1385/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.1 तददिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।

7. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि योजना की 1500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र. को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6।
12. नियोजन अनुभाग-1।
13. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक : यथोक्त।

(कौशल राज शर्मा)  
विशेष सचिव।

**संख्या-1385/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.1 तददिनांक:**

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने की कृपा करें। अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न है।

आज्ञा से,

संलग्नक : यथोक्त।

(कौशल राज शर्मा)  
विशेष सचिव।

## अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012

प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने, प्रदेश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाये जाने व राज्य सकल उत्पाद में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान में वृद्धि किये जाने के आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत अवस्थापना ब्याज उपादान योजना प्राविधानित की गयी है। प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि औद्योगिक इकाईयों को अंतिम बिन्दु तक कनेक्टिविटी प्रदान की जाए तथा उनके द्वारा यदि कोई बड़ी अवस्थापना सुविधा सृजित की जा रही है तो उसमें सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होने के फलस्वरूप उद्योगों को कम लागत में, बिना किसी अवरोध के स्थापित एवं संचालित किया जा सकता है।

इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा नई औद्योगिक इकाईयों अथवा उनके समूह/संगठनों को उनके द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु अवस्थापना ब्याज उपादान की सुविधा का प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों/इकाईयों के समूह को अपने उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा-सड़क, सीवर, इफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट, जल-निकासी, पावर लाईन, ट्रान्सफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना के सृजन हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। ये सुविधाएं इकाईयों हेतु अवस्थापना सुविधायें सृजित करने में सहायक होगी साथ ही औद्योगिक इकाईयों को मुख्य अवस्थापकीय ट्रंक लाइन से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी जिससे औद्योगिक इकाईयों की स्थान विशेष अवस्थापना संबन्धी बाधा दूर हो सकेगी। इस उपादान के माध्यम से सृजित अवस्थापना सुविधाओं के कारण उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। प्रदेश में उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि प्रदेश में वृहद स्तर पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहयोगी सिद्ध होगी।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्रियान्वयन, निर्णय एवं भुगतान की प्रक्रिया आदि निम्नवत् है:-

### 1. योजना का शीर्षक

अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012

### 2. योजना की अवधि एवं पात्रता

इस योजना के अंतर्गत वे नई औद्योगिक इकाईयाँ पात्र होगी जिन्हें शासनादेश जारी होने की तिथि से 05 वर्ष के भीतर अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गयी हो, इकाई द्वारा संबन्धित अवस्थापकीय सुविधा सृजित कर ली गयी हो तथा उसके द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो।

इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के समूह/संगठन द्वारा गठित कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल भी पात्र होंगे जिन्हें शासनादेश जारी होने की तिथि से 05 वर्ष के भीतर अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गयी हो तथा उनके द्वारा संबन्धित अवस्थापकीय सुविधा सृजित कर ली गयी हो। 5 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।

### 3. योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र।

यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी।

### 4. परिभाषाएं

(1) “इकाई” का तात्पर्य ऐसी पात्र नयी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी का क्रय तथा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात किया गया हो।

तथा

जिसने उद्योग निदेशालय, उ.प्र. के अधीन संबन्धित जिला

उद्योग केन्द्र में “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006” के धारा-8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हो।

अथवा

जिसके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

- (2) “कंपनी” से तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों के समूह/संगठनो द्वारा गठित ऐसी कंपनी से है जिसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया हो।
  - (3) “सोसाइटी” से तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों के समूह/संगठनो द्वारा गठित ऐसी सोसाइटी से है जिसका गठन सोसाइटीज अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया हो।
  - (4) “स्पेशल परपज वैहिकल” से तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों के समूह/संगठनो द्वारा गठित ऐसी कंपनी अथवा सोसाइटी से है जिसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 अथवा सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया हो।
  - (5) “पिकप” का तात्पर्य दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनी है।
  - (6) “यू.पी.एफ.सी.” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।
  - (7) “वित्तीय संस्था” से तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थायें अथवा शिड्यूल्ड बैंक से है।
  - (8) “ऋण वितरण की तिथि” का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी गयी हो।
  - (9) “वर्ष” का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
  - (10) “अवस्थापना सुविधाओं के सृजन” का तात्पर्य नई सड़क, सीवर लाइन, जल निकासी अथवा पॉवर लाइन से है जो आवेदनकर्ता इकाई के परिसर को मुख्य अवस्थापकीय ट्रंक लाइन से जोड़ती हो। इसके साथ आवेदनकर्ता इकाई के स्वयं के प्रयोग हेतु इफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट, ट्रान्सफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना भी इसमें शामिल होगी।
- (1) योजना के परिचालन हेतु पिकप एवं उ.प्र. वित्तीय निगम प्राधिकृत संस्था होगी।
  - (2) योजना का परिचालन प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित की

5. योजना का परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था

## 6. योजना का स्वरूप

जाने वाली परियोजना में प्लाण्ट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश पर रू.10 करोड़ की सीमा तक उ.प्र. वित्तीय निगम द्वारा किया जायेगा एवं रू.10 करोड़ से अधिक निवेश होने की दशा में योजना का परिचालन पिकप द्वारा किया जायेगा।

- (1) योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं से अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु प्राप्त किये गये सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी, प्रतिबंध यह होगा कि संपूर्ण अवधि में प्रति इकाई कुल रू. 1 करोड़ की सीमा तक ही प्रतिपूर्ति की जायेगी। 05 वर्षों की गणना वित्तीय संस्था से ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।
- (2) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को वित्तीय संस्था से सावधि ऋण प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् इकाई द्वारा आवेदन-पत्र संबंधित संस्था उ.प्र. वित्तीय निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पिकप के मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) इस योजना का लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अवस्थापना सुविधा के सृजन हेतु लिये गये ऋण पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।
- (5) उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगी :-
  1. इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।
  2. इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा में 5 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।उपरोक्त ब्याज दर के समतुल्य धनराशि इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगी कि 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों के लिए, प्रति इकाई कुल रू. 1 करोड़ की सीमा से अधिक न हो।
- (6) उपादान धनराशि का ऑकलन अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि पर 5 प्रतिशत की दर से की जायेगी।

उदाहरण-यदि किसी इकाई द्वारा 14 प्रतिशत की दर से अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु वित्तीय संस्था से रू.1 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया हो तो उपादान की राशि 5 प्रतिशत ब्याज दर के अनुसार रू.5 लाख होगी।

## 7. योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता

- (1) इकाई अथवा औद्योगिक इकाईयों के समूह/संगठन द्वारा गठित कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा प्रस्तर संख्या-2 में उल्लिखित पात्रता की शर्तें पूर्ण की गयी हो।
- (2) इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा प्रारूप-“क” पर प्राधिकृत संस्था को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।
- (3) इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल के पक्ष में वित्तीय संस्था द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात् सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा संबन्धित वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो।
- (4) यदि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पश्चात प्रारूप-क पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो 6 माह से ऊपर के विलम्ब की अवधि को 5 वर्ष की पात्रता अवधि से घटा दिया जायेगा।
- (5) उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चातवर्ती वार्षिक आवेदन प्राधिकृत संस्था को अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत कर दिया गया हो। 30 जून के उपरान्त प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए उपादान अनुमन्य नहीं होगा।

## 8. योजनान्तर्गत उपादान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया

- (1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक इकाई/ कंपनी/ सोसाइटी/ स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र “प्रारूप-क” में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा उसे संबन्धित वित्तीय संस्था द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का, वित्तीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राधिकृत संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन-पत्र वॉछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल के पक्ष में प्रारूप-ख पर स्वीकृति पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया जायेगा।
- (3) पिकप में आवेदन पत्र वॉछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने पर पिकप मुख्यालय द्वारा इकाई/ कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल के पक्ष में प्रारूप-ख पर स्वीकृति पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया जायेगा।
- (4) इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र “प्रारूप-ग” में नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध संबन्धित संस्था के साथ संपादित कराया जायेगा।

## 9. भुगतान की प्रक्रिया

- (1) प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को वार्षिक माँग प्रेषित की जायेगी।
- (2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त माँग के आधार पर स्वीकृत उपादान की धनराशि शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल के पक्ष में पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) इकाई/ कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर ही करना आवश्यक होगा। यदि किन्हीं कारणों से किसी भुगतान में इकाई/ कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल डिफाल्टर हो जाती है तो उस किश्त के साथ दिये गये ब्याज पर कोई छूट (उपादान) देय नहीं होगी परन्तु यह अवधि पात्रता अवधि में सम्मिलित मानी जायेगी।

## 10. अवस्थापना ब्याज उपादान योजना के लेखों का रखरखाव

प्राधिकृत संस्था द्वारा उपादान की वितरित धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का संपूर्ण विवरण जनपदवार रखा जायेगा।

## 11. बजट की व्यवस्था

प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्भ में औद्योगिक विकास विभाग को अनुमानित मांग प्रेषित करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

## 12. स्वीकृत अवस्थापना ब्याज उपादान सुविधा का निरस्तीकरण/ वसूली

निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में संबंधित इकाई/ कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल को उपादान देय नहीं होगा एवं इकाई/ कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल को उपादान वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।

- (1) जब कोई इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे माँगी जाए, देने में असफल रहे।
- (2) जब किसी इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर ब्याज उपादान प्राप्त किया हो।
- (3) जब किसी इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के अन्तर्गत उत्पादन कार्य स्थाई रूप से (छः माह से अधिक) बन्द कर दिया गया हो अथवा दैवीय आपदा के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया हो, साथ ही दोनों ही अवस्थाओं में इकाई द्वारा संबंधित घटना/व्यवधान उत्पन्न होने के एक माह के अन्दर ही संबंधित प्राधिकृत संस्था को नाम से सूचना लिखित रूप से प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

इस सम्बन्ध में प्राधिकृत संस्था का निर्णय सर्वमान्य होगा।

- (4) जब किसी इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा प्राप्त किये गये ऋण के उद्देश्य की पूर्ति न की गयी हो संबन्धित अवस्थापना सुविधा पूर्ण रूप से सृजित न की गयी हो।

**13. इकाईयों द्वारा सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना।**

योजनावधि में इकाई/ कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। प्रति वर्ष उनके द्वारा किये गये उत्पादन आदि का विवरण एवं ऑडिटेड वार्षिक लेखा/वैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। प्राधिकृत संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा पात्र औद्योगिक इकाई तथा उसके अभिलेखों का निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

**14. व्यय भार**

योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा-अनुबंध पत्र व अनुषांगिक व्यय पात्र इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पूँजीगत ब्याज उपादान की धनराशि का दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा उपादान धनराशि के वितरण से पूर्व प्राधिकृत संस्था को दिया जायेगा।

**15. अन्य**

- (1) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामलों प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे।
- (2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा।
- (3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का, योजना में संशोधन करने का अथवा अन्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा।

आज्ञा से

(संजय प्रसाद)

सचिव।

